



॥ सर्व खल्विदं ब्रह्म ॥

आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग



क्र./3677 / न्यास / F-83/4/2024

भोपाल, दिनांक 11/09/20 24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),

वन भवन,

तुलसी नगर, भोपाल।

विषय:- खण्डवा जिले के ग्राम-गोदड़पुरा में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान हेतु 17.00 हैक्टेयर वनभूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हैक्टेयर वनभूमि कुल 17.28 हैक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग, जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- 1/ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-एमपीसी 022/2022-बीएचओ दिनांक 12.09.2023।

2/ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/ 1158/2022/10-11-4155 दिनांक 15.09.2023।

3/ वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, खण्डवा का पत्र क्र./मा.चि./ 2024/1432 दिनांक 21.03.2024।

उपरोक्त विषय में खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम-गोदड़पुरा में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान हेतु 17.00 हैक्टे. वनभूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हैक्टे. वनभूमि कुल 17.28 हैक्टे. वनभूमि आवंटन हेतु भारत सरकार के पत्र क्र. 6-एमपीसी 022/2022-बीएचओ दिनांक 12.09.2023 द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करने के उपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संदर्भित पत्र दिनांक 15.09.2023 से भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति का शर्तवार पालन प्रतिवेदन चाहा गया है। पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

// 2 //

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

S.No.		
1.	Cost of compensatory afforestation on the <u>CA land (18.56 ha NFL)</u> at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The Scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रकरण में राशि रु. 1,38,00,443/- कैम्पा मद में ऑनलाइन जमा कर दी गयी है।
2.	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है। नामांतरण की प्रति एवं खसरा पी-II की छायाप्रति संलग्न है। में संलग्न है।
3.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-5 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A Copy of the same may be submitted with the Stage-I compliance report.	वन विभाग से सम्बंधित

//3//

4.	The cost of compensatory afforestation on the CA land (10.00 ha DFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	प्रकरण में राशि रु. 1,38,00,443 /- कैम्पा मद में ऑनलाइन जमा कर दी गयी है।
5.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 17.28 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	NPV राशि रु. 2,12,30,035 /- कैम्पा मद में ऑनलाइन जमा करा दी गयी है।
6.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	सहमत, कुल राशि रु. 3,50,30,478 /- कैम्पा मद में ऑनलाइन जमा करा दी गयी है।
7.	Complete compliance of the FRA, 2006 Shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA, 2006 के तहत कलेक्टर, खण्डवा का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
8.	The User Agency shall indicate final requirement of the land and submit an undertaking that no further proposal for diversion of forest land for the same Project in this area shall be initiated in Future.	वचन पत्र संलग्न है।

//4//

9.	As recommended by the REC and RO, revised CA sites are approved for carrying out CA. The area proposed for CA shall be protected by way of chain link fencing to prevent any encroachment.	सहमत, वन विभाग से सम्बंधित
10.	The User Agency shall submit/upload the map of CA area of 10.00 ha degraded forest land before-II approval.	नक्शा संलग्न है।
11.	The User Agency shall submit an undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consultation with the State Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the User Agency.	वचन पत्र संलग्न है।
12.	The details of component wise breakup of the area approved/diverted in previous approvals and the one now proposed for diversion shall be submitted before the Stage-II approval.	कम्पोनेन्टवाइज़ ब्रेकअप संलग्न है।
13.	The State Govt. shall reconcile the KML files of the areas already diverted, now proposed to be diverted and the green zone and submit the same before Stage-II approval.	कुल भूमि में वृक्षारोपण करने सम्बंधी केएमएल फाइल संलग्न है।
14.	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest area.	वचन पत्र संलग्न है।
15.	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied, wherever applicable.	सहमत

//5//

16.	The construction shall be done as follows : <table><tr><th>S.No.</th><th>Area Name</th><th>Site Area (in sqm)</th><th>Built-up ground coverage (in sqm)</th><th>Green Area (in sqm)</th><th>Passage area (in sqm)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Training Center Campus 1</td><td>77,600</td><td>3,120</td><td>72,490</td><td>1,990</td></tr><tr><td>2.</td><td>Training Center Campus 2</td><td>87,100</td><td>5,355</td><td>71,628</td><td>10,117</td></tr><tr><td>3.</td><td>Site-C (cultural Center)</td><td>5,500</td><td>297</td><td>5,203</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Site-D (Road)</td><td>2,600</td><td>0</td><td>0</td><td>2,600</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,72,800</td><td>8,772</td><td>1,49,321</td><td>14,707</td></tr></table>	S.No.	Area Name	Site Area (in sqm)	Built-up ground coverage (in sqm)	Green Area (in sqm)	Passage area (in sqm)	1.	Training Center Campus 1	77,600	3,120	72,490	1,990	2.	Training Center Campus 2	87,100	5,355	71,628	10,117	3.	Site-C (cultural Center)	5,500	297	5,203	0	4.	Site-D (Road)	2,600	0	0	2,600	Total		1,72,800	8,772	1,49,321	14,707	सहमत (नक्शा संलग्न है।)
S.No.	Area Name	Site Area (in sqm)	Built-up ground coverage (in sqm)	Green Area (in sqm)	Passage area (in sqm)																																	
1.	Training Center Campus 1	77,600	3,120	72,490	1,990																																	
2.	Training Center Campus 2	87,100	5,355	71,628	10,117																																	
3.	Site-C (cultural Center)	5,500	297	5,203	0																																	
4.	Site-D (Road)	2,600	0	0	2,600																																	
Total		1,72,800	8,772	1,49,321	14,707																																	
17.	The State Forest Department shall ensure minimum number of tree fellings. The tree fellings shall only be in the construction area as proposed in the layout plan. The State Forest Department shall submit the actual number of fellings undertaken with their locations.	सहमत, न्यूनतम वृक्षों की कटाई की जायेगी।																																				
18.	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	वन विभाग से सम्बंधित																																				
19.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter no. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	सहमत																																				

//6//

20.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
-----	--	--

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

S.No.																		
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	सहमत																
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over <u>18.56 ha</u> at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. Details of CA are as follows : <table><tr><th>No.</th><th>Khasra No.</th><th>Village/Tehsil/District</th><th>CA Area (Ha)</th></tr><tr><td>1.</td><td>32/1</td><td>Surgaon Nepani/ Khandwa/Khandwa</td><td>6.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>36/1, 39</td><td>Surgaon Nepani/ Khandwa/Khandwa</td><td>12.56</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>18.56 Ha</td></tr></table>	No.	Khasra No.	Village/Tehsil/District	CA Area (Ha)	1.	32/1	Surgaon Nepani/ Khandwa/Khandwa	6.00	2.	36/1, 39	Surgaon Nepani/ Khandwa/Khandwa	12.56	Total			18.56 Ha	वन विभाग से सम्बंधित
No.	Khasra No.	Village/Tehsil/District	CA Area (Ha)															
1.	32/1	Surgaon Nepani/ Khandwa/Khandwa	6.00															
2.	36/1, 39	Surgaon Nepani/ Khandwa/Khandwa	12.56															
Total			18.56 Ha															

//7//

3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.00 Ha degraded forest land, Compartment No. 63 B, Beat-Anwalia, Forest Range-Khandwa, District-Khandwa at the cost of the user agency. As far as possible, a mixutre of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.	वन विभाग से सम्बंधित
4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	सहमत/वचन पत्र संलग्न है।
5.	User Agency shall restrict the felling of trees only those areas where construction is required in the diverted forest land and they shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and the State Forest Department shall undertaking the fellings.	सहमत
6.	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सहमत
7.	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	सहमत
8.	No labour camp shall be established on the forest land.	सहमत

//8//

9.	The User Agency shall provide alternate fuels Preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	सहमत
10.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	सहमत
11.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	सहमत
12.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.	सहमत
13.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	सहमत



(शिव शेखर शुक्ला)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
सह न्यासी सचिव

//७//

पृष्ठा. क्र./ 3252 /न्यास/2024

भोपाल, दिनांक 27.03.2024

प्रतिलिपि, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

मे 27/3/24

सहायक संचालक, संस्कृति
सह प्रभारी अधिकारी
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 1432
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 21.3.24

सहायक संचालक,
संस्कृति सह प्रभारी अधिकारी
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास
संस्कृति विभाग जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल, (म.प्र.)

विषय:- खण्डवा जिले के ग्राम गोदडपुरा में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान हेतु 17.00 हेक्टेयर वनभूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हेक्टेयर वनभूमि कुल 17.28 हेक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग, जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- एवं आपका पत्र क्रमांक 3227 दिनांक 14.03.2024

—000—

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में लेख है कि खण्डवा जिले के ग्राम गोदडपुरा में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान हेतु 17.00 हेक्टेयर वनभूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हेक्टेयर वनभूमि कुल 17.28 हेक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग, जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPC022/2022 BHO दिनांक 12.09.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1158/2022/10-11/4155 भोपाल दिनांक 15.09.2023 द्वारा प्रकरण में सैध्दांतिक स्वीकृति में जारी शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। अतः संदर्भित पत्र में दर्शित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(राकेश कुमार डामोर)
वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 21.3.24

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2024/
प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खण्डवा

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-10-2023

Agency Name.	GOVT. OF M.P. CULTURE DEPARTMENT
Application No.	199156029868
MoEF/SG File No.	6-MPC022/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Tribal Museum, Shyamla Hills Bhopal
Amount(in Rs)	35030478/-

Amount in Words :Three Crore Fifty Lakh Thirty Thousand Four Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15076199156029868 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY.

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-10-2023

Agency Name.	GOVT. OF M.P. CULTURE DEPARTMENT
Application No.	199156029868
MoEF/SG File No.	6-MPC022/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Tribal Museum, Shyamla Hills Bhopal
Amount(in Rs)	35030478/-

Amount in Words :Three Crore Fifty Lakh Thirty Thousand Four Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15076199156029868 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रमाण एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संवेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11096447379

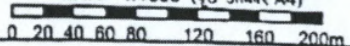
ग्राम: सुरास निपानी			पटवारी हत्का: पिपल्या तहसर			तहसील: खण्डवा			जिला: खण्डवा		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे		1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रारथिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157111 2551 7DS4JT D9A8S VH0	32/1/2 (S)		5.7800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						बटवारा प्रकरण क्रमांक 50a-27/2017-18 आ.दि. 22/08/2017 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0041/अ-59/2021-22, आदेश दि. 04/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0003/अ-3/2023-24, आदेश दि. 19/01/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

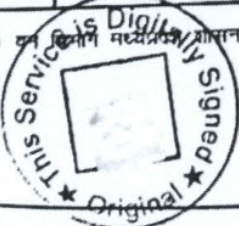
लोक सेवा केन्द्र खण्डवा
15 FEB 2024
तहसील ऑफिस के पास
जिला- खण्डवा (म.प्र.)



 मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख		सी.एन.आर नं. : 11096447028		
		वर्ष: 2023-24	दिनांक: 15-02-2024 12:06:11	

33 32/2  32/1/2 (S) 32/1/1			

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	सुरगांव निपादी	पिपल्या तहर	खण्डवा	खण्डवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू. रा. शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4) 	
32/1/2(S)	5.7800 (हेक्ट.)	0		

भूस्वामी : (शासकीय) एवं डिजिटल मध्यप्रदेश शासन शासकीय 	सर्वेक्षण सेवा केन्द्र खण्डवा 15 FEB 2024 तहसील ऑफिस के पास जिला- खण्डवा (म.प्र.)	Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2024.02.15 12:19:01 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy CLR No. : 11096447028 (हस्ताक्षर)
--	---	---

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.



मध्य प्रदेश कांयूटरीकृत भू-अपिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11096447388



ग्राम: सुराव निपानी			पटवारी हत्का: पिपत्या तहार			तहसील खण्डवा			जिला: खण्डवा		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृपक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दुष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के धारे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अप्रियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104519 8427 7DS04 QD99TJ 1H0	36/1 (S)		9.5600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						बटवारा प्रकरण क्रमांक 22/a-59/2019-20 आ.दि. 28/08/2019 के अनुसार कलेक्टर महोदया द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0041/अ-59/2021-22, आदेश दि. 04/02/2022 के अनुसार भू-अपिलेख अद्यतित।

लोक सेवा केन्द्र खण्डवा
15 FEB 2024
तहसील ऑफिस के पास
जिला- खण्डवा (म.प्र.)





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर. नं. : 11096447428

वर्ष: 2023-24

दिनांक: 15-02-2024 12:06:20

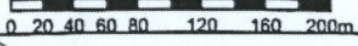


35

36/1
(S)

36/2

39/2

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	सुरगांव निपानी	पिपल्या तखर	खण्डवा	खण्डवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू-राजस्व	मापांक 1:4000 (एड आकार A4)	
36/1(S)	9.5600(हेक्ट.)	0.00		

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग, मध्यप्रदेश शासकीय



लोक सेवा केन्द्र खण्डवा

15 FEB 2024

तहसील ऑफिस के पास
जिला- खण्डवा (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER
LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.02.15 12:18:48 IST
Reason: Digital Extract of Land Record -
Map Copy
CLR No. : 11096447428

(हस्ताक्षर)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.



मध्य प्रदेश काभ्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रकार एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

र No. : 11096446992



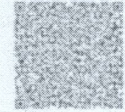
ग्राम: सुलाव निरानी			परिवारी हस्ता: विस्तृत तालिका			तहसील: खण्डवा			जिला: खण्डवा		वर्ष: 2023-2024
भूमि के पान की दृष्टि से आईटी	भूमि के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संचयक/स्वतंत्र संचयक)	पू-खण्ड संचयक (स्वतंत्र की दृष्टि से)	1. संपत्ति (हैबेट/कॉर्पोरेट में) 2. भूमि उपयोग जिले के लिए निर्धारित किया गया है 3. पू-रजस्व/पू-पट्टा (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मीलमी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रकार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीक 2. खी 3. जंगल 4. अन्य		1. भूमि के सिवाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियंत्रित 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के अद्यतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157111 2527 7DRU1 PD99U T8H0	39/2 (S)		3.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0003/अ-3/2023-24, आदेश दि. 19/01/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। घास बीड़ कटि दीर्घ प्रकार की झुंडियाँ। श्रीमान कलेक्टर महो. खण्डवा के रा. प्र. क्र. 102 अ/59 वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 25/06/13 के अनुसार सिवाय आय में दर्ज। घास हेतु।

लोक सेवा केन्द्र खण्डवा
15 FEB 2024
तहसील ऑफिस के पास
जिला- खण्डवा (म.प्र.)



 मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख		सी.एल.आर नं. : 11096447029		
		वर्ष: 2023-24	दिनांक : 15-02-2024 12:06:14	
36/1		36/2		37
		39/2 (8)		38
39/1				
ब्लॉक सं.:	ग्राम:सुरगांव निपानी	हल्का:पिपल्या तहर	तहसील:खण्डवा	जिला:खण्डवा
सर्वेक्षण सं.: 39/2(S)	क्षेत्रफल:3.0000(हेक्टर)	भू.सं.आ.0	मापक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m
मूल्यामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था		लोक सेवा केन्द्र खण्डवा 15 FEB 2024 तहसील ऑफिस के पास जिला- खण्डवा (म.प्र.)		Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2024.02.15 12:18:56 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy CLR No. : 11096447029 (हस्ताक्षर)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख

रखसरा

प्रकरण एक (निबन्ध 6 देखिए)

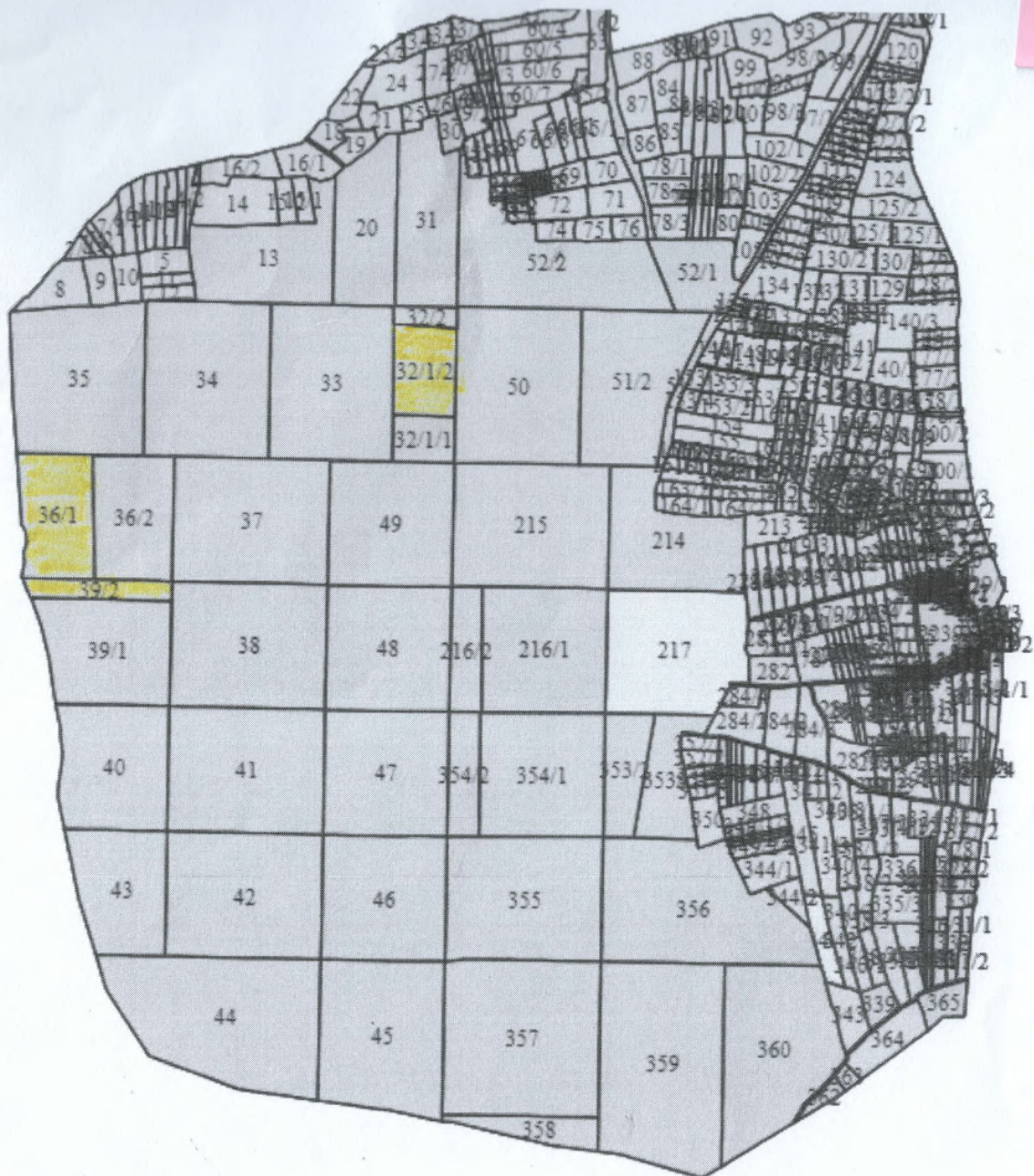
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11124444337

ग्राम: सुरावा निचानी			पटवारी हल्का: पिपट्या तहस्र			तहसील: खण्डवा		जिल्ला: खंडा पूर्व निवाड़		वर्ष: 2024-2025	
भूमि के पंग की युनिक आईडी	भूमि के पंग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/कलॉक संख्या)	पू. खण्ड संख्या (कलॉक की दशा में)	1. सैक्टर (हेक्टेयर/का मोटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर बिल्लाम तथा प्रेषण 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		
									फसल खरीफ 1. खरीफ 2. रबी 3. जयद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1589574137 7DRTN YD99V0 YH0	39/1/2 (S)		0.2200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0003/अ-3/2023-24, आदेश दि. 19/01/2024 के अनुसार भू-अपिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0004/अ-3/2024-25, आदेश दि. 10/08/2024 के अनुसार भू-अपिलेख अद्यतित। घास बीड़ कटि दीगर प्रकार की झुंडियाँ। श्रीमान कलेक्टर महो. खण्डवा के रा. प्र. क्र. 102 अ/59 वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 25/06/13 के अनुसार सियाय आय में दर्ज। घास हेतु।



लोक सेवा केन्द्र खण्डवा
21 AUG 2024
तहसील ऑफिस के पास
जिला- खण्डवा (म.प्र.)



Surgaon Nipani Village	Khandwa Tehsil	Khandwa District
---------------------------	-------------------	---------------------

FORM-II

Annexure-II

(for Projects other than Linear Projects)
Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Khandwa

No. 2031/2022-23

Dated 17/09/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 17.28 hectare area in Khasra No. 2/1 Total Area 269.093 hectare forest land proposed to be diverted in favour of Acharya Shankar Cultural Unity Trust Department of Culture, Govt. Of Madhya Pradesh Tribal Museum, Shyamla Hills Bhopal for Gurukul Construction Khandwa district falls within jurisdiction of Goderpura village in Punasa tehsils.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried for 17.28 hectare out of the entire 269.093 hectares of forest area proposed for diversion and found that no traditional forest dwellers are living in the area and nobody is depending on this Forest. A copy record of all consultations and meetings of the Forest Right Nagar Parisad Omkareshwer, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Annexure III.
- (b) Exchange of this land the same area of revenue land is diverted by the order of collector district Khandwa order no. 6868 date 24/05/2021 in Narlay village tehsil Punasa. Govt. land khasra no. 190 area 20.25 hectare Head "Ghas" in which 9.36 hectare area is diverted to DFO Khandwa as per revenue rule 4-1 Part 36 for plantation. As per capture receipt punchnama date 28/06/2021 this area is Possession in favour of forest department for plantation.
- (c) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular /local language) have been placed before concerned Nagar Parisad Committee/ Sub-Division Level Committee /Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (d) The concerned Nagar Parisad Meeting, has certified that all formalities/processing under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understand the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Nagar Parisad Committee of Omkareshwer/Sub-Division Level Committee Punasa.
- (e) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of the members of Nagar Parisad Committee of Omkareshwer/Sub-Division Level Committee Punasa, present.
- (f) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Nagar Parisad Committee, Sub-Division Level Committee have given their consent to it;
- (g) The right of primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (I) (e) of the FRA.

Encls: As above.

(Anup Kumar Singh)
Collector
Dist. Khandwa (M.P.)

:: कार्यालय कलेक्टर, जिला-

::आदेशः::

राजस्व प्रकरण क्रमांक/ -अ-59/2021-22

ग्राम सुरगाव निपानी, तहसील-खण्डवा

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि कि वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा ने पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक/श्री आचार्य शंकर/2022/372 दिनांक 24.01.2022 प्रेषित कर लेख किया है कि श्री आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान की स्थापना एवं अन्य कार्यों के लिये ग्राम सक्तापुर तहसील पुनासा स्थित खसरा नंबर 44 रकबा 77.98 हेक्टेयर भूमि में से पैकी रकबा 18.00 हेक्टेयर भूमि आदेश दिनांक 14.01.2022 से वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई है। उप वनमण्डलाधिकारी, पुनासा एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2022 को निरीक्षण में पाया कि आवंटित भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 181 के अंतर्गत है। शेष 8.00 हेक्टेयर भूमि राजस्व के अंतर्गत है, जो पथरीली होने से वृक्षारोपण के योग्य नहीं है। पूर्व में ग्राम सुरगाव निपानी एवं मोघट में श्री आचार्य शंकर, भामसिंघाई परियोजना, आवलिया सिंघाई परियोजना आदि हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है। इन्हीं खसरो के आसपास या इनसे लगे हुए या इन खसरो में शेष जमीन वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा सकती है। श्री आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान की स्थापना एवं अन्य कार्यों के लिये 18.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जावे।

2- तहसीलदार, खण्डवा द्वारा की गई जांच के आधार पर अनु-विभागीय अधिकारी, खण्डवा ने ग्राम सुरगाव निपानी तहसील खण्डवा की भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 8.7800 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 36/1 रकबा 9.5600 हेक्टेयर मद घांस, कुल रकबा 18.3400 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा को हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की है।

3- अतः तहसीलदार, खण्डवा द्वारा की गई जांच एवं अनु-विभागीय अधिकारी, खण्डवा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर ग्राम सक्तापुर तहसील पुनासा स्थित खसरा नंबर 44 रकबा 77.98 हेक्टेयर भूमि में से पैकी रकबा 18.00 हेक्टेयर हस्तांतरित भूमि के स्थान पर ग्राम सुरगाव निपानी तहसील खण्डवा की भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 8.7800 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 36/1 रकबा 9.5600 हेक्टेयर मद घांस, कुल रकबा 18.3400 हेक्टेयर भूमि, राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 की कड़िका 36 के तहत वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाती है।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 4.02.2022

पू0क्रमांक/ 2017 /वाचक कले/2022

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा,
- 4- उप वनमण्डलाधिकारी, पुनासा (सामान्य),
- 5- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा की ओर मय मूल प्रकरण के संलग्न कर लेख है कि वे शासकीय अभिलेख में आवश्यक दुरुस्ती कराकर संशोधित खसरा नक्शा प्रकरण में संलग्न करते हुए प्रकरण अभिलेखागार में जमा किए जाने हेतु वापिस करें।
- 7- डॉ. शैलेन्द्र मिश्र, न्याय प्रभारी, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान, संस्कृति विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 8- तहसीलदार, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

कलेक्टर

जिला खण्डवा.

:: कार्यालय कलेक्टर, जिला-खण्डवा ::

:: आदेश ::

मामला क्रमांक 44-अ-59/2024-25

ग्राम सुरगांव निपानी, तहसील खण्डवा

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक/संस्था सहायक संचालक संस्कृति विभाग म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्रमांक 3427/न्यास/एम-83/4/2024, भोपाल दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से खंडवा जिले के ग्राम गोदडपुरा तहसील पुनासा में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान हेतु 17.00 हेक्टेयर वन भूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हेक्टेयर वन भूमि कुल 17.28 हेक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल को उपयोग पर देने हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक एम.पी.सी. 022/2022/बीएचओ./दिनांक 12.09.2023 अनुसार आवंटित वन भूमि 17.28 के विरुद्ध 18.56 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना है। वन भूमि के एवज में आदेश क्रमांक 19913 दिनांक 22.12.2023 के अनुसार ग्राम सुरगांव निपानी तहसील खंडवा के ख.न. 23/1 रकबा 6.00 हेक्टेयर, एवं ख.न./1 रकबा 9.56 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 39 रकबा 3.00 हेक्टेयर कुल 18.56 हेक्टेयर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कि गई। परंतु वास्तविक रूप में हस्तांतरित की गई भूमि में ख.न. 32/1/2 रकबा 6.00 हेक्टेयर में से 5.78 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार 0.22 हेक्टेयर भूमि कम दी गई है। जिस कारण वन विभाग द्वारा 17.28 हेक्टेयर वन भूमि का कब्जा देने में कठिनाई बतायी गयी है। विभाग द्वारा 0.22 हेक्टेयर शेष भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया है।

2- तहसीलदार खण्डवा द्वारा की गई जांच के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा ने सहायक संचालक संस्कृति विभाग म.प्र. शासन को ग्राम गोदडपुरा तहसील पुनासा में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान हेतु 17.00 हेक्टेयर वन भूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हेक्टेयर वन भूमि कुल 17.28 हेक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल को उपयोग पर देने हेतु आवंटित 17.28 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम सुरगांव निपानी स्थित भूमि शासकीय भूमि कुल 18.56 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाना थी किन्तु वर्तमान में वन विभाग को 18.34 हेक्टेयर भूमि ही हस्तांतरित की गई है। विभाग द्वारा शेष 0.22 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाने की मांग की गई है। अतः उक्त रकबा पूर्ति हेतु ग्राम सुरगांव निपानी स्थित भूमि ख.न. 29/1 रकबा 13.76 हेक्टेयर में से पैकी 0.22 हेक्टेयर भूमि वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किए जाने के संबंध में म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निहित प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित किये जाने पर गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति की दिनांक 15.07.2024 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा लिये निर्णय अनुसार वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3- अतएव अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा द्वारा की गई जांच तथा म0 प्र0 प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के तहत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा लिये गये व निर्णय के आधार पर सहायक संचालक संस्कृति विभाग म.प्र. शासन को ग्राम गोदडपुरा तहसील पुनासा में आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान हेतु 17.00 हेक्टेयर वन भूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुच मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हेक्टेयर वन भूमि कुल 17.28 हेक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल को उपयोग पर देने हेतु आवंटित 17.28 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम सुरगांव निपानी स्थित भूमि शासकीय भूमि कुल 18.56 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाना थी किन्तु वर्तमान में वन विभाग को 18.34 हेक्टेयर भूमि ही हस्तांतरित की गई है। विभाग द्वारा शेष 0.22 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाने की मांग की गई है। अतः उक्त रकबा पूर्ति हेतु ग्राम सुरगांव निपानी स्थित भूमि ख.न. 29/1 रकबा 13.76 हेक्टेयर में से पैकी 0.22 हेक्टेयर भूमि वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय 2 की कड़िका 17 के अंतर्गत निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है।



(अनूप कुमार सिंह)
कलेक्टर,
जिला-खण्डवा.

पृ०कमांक/10683/वाचक कले./2024
प्रतिलिपि:-

खण्डवा, दिनांक 01.07.2023

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, संस्कृति विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- डॉ. शैलेन्द्र मिश्र, सहायक संचालक सह उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान, संस्कृति विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल, खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा की ओर मय मूल प्रकरण के संलग्न कर लेख है कि वे शासकीय अभिलेख में आवश्यक दुरुस्ती कराकर संशोधित खसरा नक्शा प्रकरण में संलग्न करते हुए प्रकरण अभिलेखागार में जमा किए जाने हेतु वापिस करें।
- 5- तहसीलदार, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

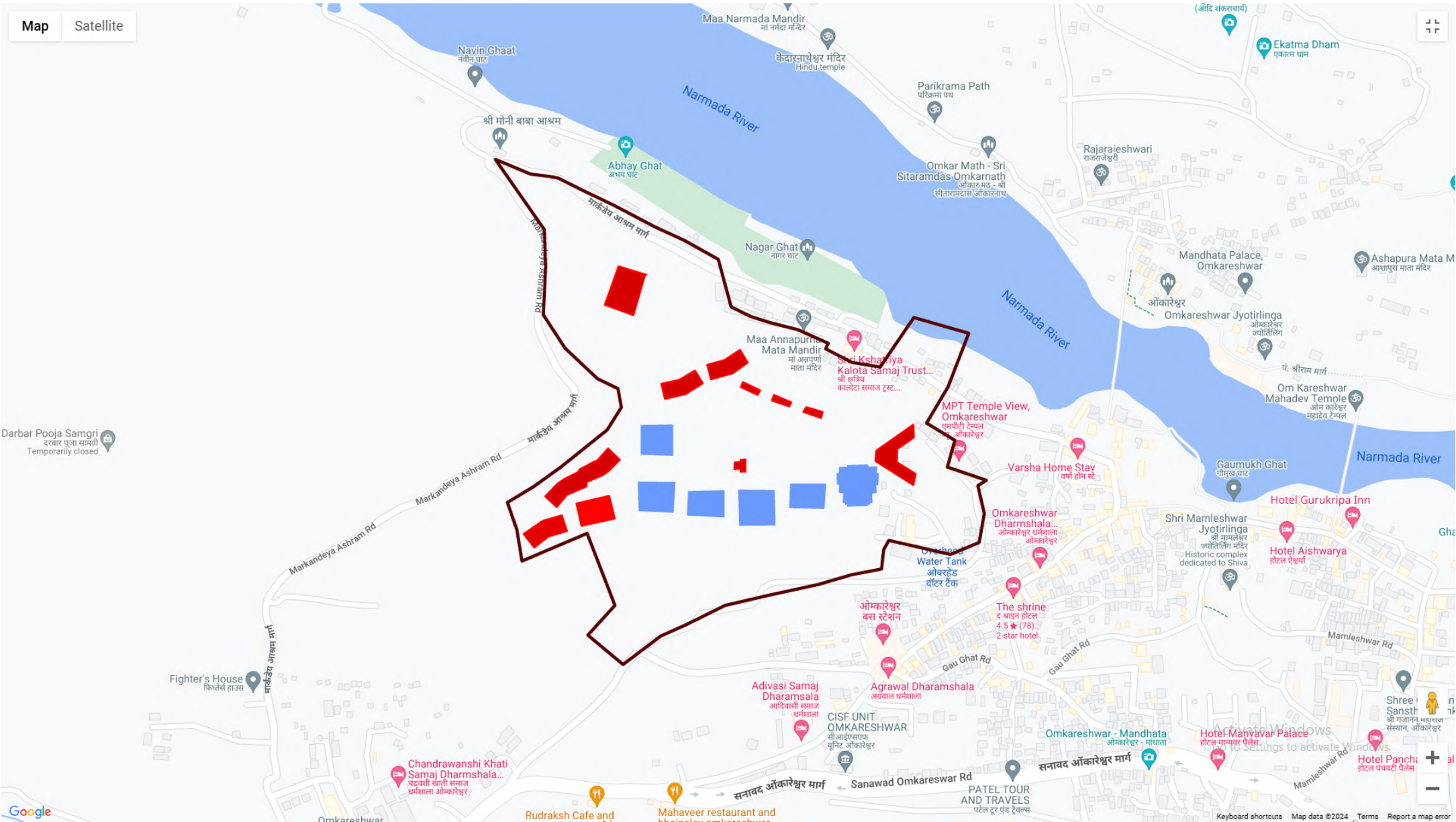

कलेक्टर,
जिला-खण्डवा.



Components wise Break-up

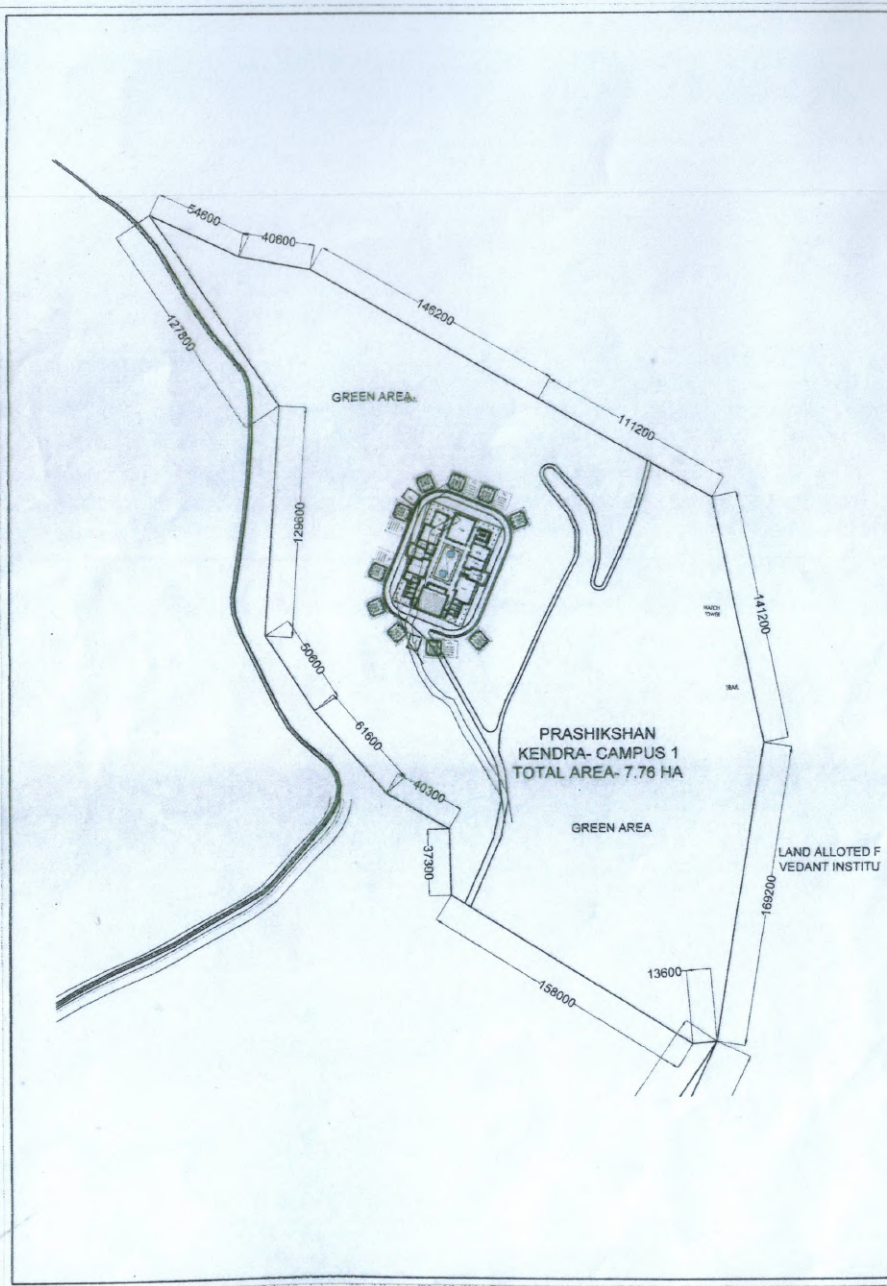
Code	Block Name	Nos. of Unit	Unit Ground Coverage	Total Ground Coverage	Component
TH	Training Hall	1	200	200	Training Center Campus – 2
A	Training Center - A	5	295	1475	
B	Training Center – B	3	640	1920	
C	Trainees Room – C	2	880	1760	
D	Training Block	1	2300	2300	Training Center Campus – 1
E	Class rooms	10	82	820	
F	Cultural Center	1	297	297	
G	Maintenance Block	1	805	805	Acharya Shankar International Institute of Advait Vedant and Gurukul
H	Advait Darshan Kendra	1	1090	1090	
I	Advait Samajik Vigyan Kendra	1	1258	1258	
J	Advait Sangeet, Sahitya evam Kala Kendra	1	1422	1422	
K	Advait Vigyan Kendra	1	1207	1207	
L	Library	1	1625	1625	
M	Admin Block	1	1519	1519	
N	Extension Center	1	1619	1619	
O					
P	Project Information Center	1	2388	2388	
Q	Project Office	1	108	108	


KAUSHAL SINGH BHADAURIA
ARCHITECT MPSTDC
 20/11/2022



1.	SITE A (PRASHIKSHAN KENDRA -CAMPUS 1)	-	77600 SQM.
2.	SITE B (PRASHIKSHAN KENDRA -CAMPUS 2)	-	87100 SQM.
3.	SITE C (FOR PLANTATION)	-	5500 SQM.
4.	SITE D (FOR ROAD)	-	2600 SQM.
	TOTAL SITE AREA	-	172800 SQM.
	TOTAL GROUND COVERAGE	-	8475 SQM. (4.90%)

★ कौशल सिंह मदीरिया, वास्तुविद
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निषम



AREA STATEMENT:	AREA IN SQM	AREA OF EACH BLOCK
TOTAL SITE AREA	77600 SQM	
GROUND COVERAGE:	3120 SQM	
UNIT AREAS		
TRAINING BLOCK 1NOS.	2300 SQM	2300 SQM
TRAINING CLASSROOMS (10 NOS.)	820 SQM	82 SQM

NORTH POINT
 N
 This drawing is a "COPYRIGHT" drawing of this property and shall remain the property of the owner. No part of this drawing may be used or reproduced without the permission of the owner.

NO.	DATE	ISSUED TO	REMARKS
1		CLIENT	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

GENERAL NOTES

PROJECT
 Statue of Oneness
 Statue of Oneness, Acharya Shankar Museum & Acharya Shankar International Institute of Advait Vedant at Oshkeshwar, Madhya Pradesh

OWNER
 Acharya Shankar Sanskritik Ekta Nyas

EMPLOYER
 Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Ltd.

DESIGN & PMC
 Architectural and Engineering Consultants
 C.P. KULKARNI ARCHITECTS
 ARCHITECT BUILDING
 2/1, JYOTI NAGAR,
 ANANDWADI, INDIA
 PHONE: +91 98262888
 FAX: +91 98262888
 EMAIL: cpk@cpkarchitects.com

CONSULTING ARCHITECTS
 PROJECT MANAGER
 Maheshwari Engineering Pvt. Ltd.
 100-101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ACHARYA SHANKAR INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADVAIT VEDANT

EPC AGENCY

OUR PROJECT: SURUL AND PRASHIKSHAN KENDRA CAMPUS-1

DRAWING NO: 100/2022/100

ARCHITECTURE: 100/2022/100

DRAWING TITLE: SITE, SURUL AND PRASHIKSHAN KENDRA CAMPUS-1

DATE: 10-12-2022

SCALE: 1:100

DRAWN BY:

CHECKED BY:

कौशल सिंह मदीरिया, वास्तुविद
 म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम



आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462003



S. No./

/ Trust /

Bhopal, Date

/

/20

:: वचन पत्र ::

(क्रमांक-बी-4)

आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान के लिये आवंटित वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वैल्यू में यदि वृद्धि होती है तो न्यास द्वारा अंतर की राशि जमा करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।



(शिव शेखर शुक्ला)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति विभाग

सह न्यासी सचिव

ACHARYA SHANKAR CULTURAL UNITY TRUST

Department of Culture, Government of Madhya Pradesh
Tribal Museum, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.) 462003

☎ 0755 - 492 88 69 / 270 84 51



आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462003



S. No./

/ Trust /

Bhopal, Date

/

/20

:: वचन पत्र ::

(क्रमांक-8)

॥ सर्व स्वल्चिदं ब्रह्म ॥ आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान के लिये अब इस क्षेत्र में और अतिरिक्त वन भूमि की मांग नहीं की जायेगी। ॥ सर्व स्वल्चिदं ब्रह्म ॥



(शिव शेखर शुक्ला)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति विभाग

सह न्यासी सचिव

ACHARYA SHANKAR CULTURAL UNITY TRUST

Department of Culture, Government of Madhya Pradesh
Tribal Museum, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.) 462003

☎ 0755 - 492 88 69 / 270 84 51



आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462003



S. No./

/ Trust /

Bhopal, Date

/

/20

:: वचन पत्र ::

(क्रमांक-11)

॥ सर्व स्वल्चिदं ब्रह्म ॥ आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान के लिये आवंटित भूमि में कम से कम निर्माण कार्य करते हुए शेष भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।



(शिव शेखर शुक्ला)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
सह न्यासी सचिव

ACHARYA SHANKAR CULTURAL UNITY TRUST

Department of Culture, Government of Madhya Pradesh
Tribal Museum, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.) 462003

☎ 0755 - 492 88 69 / 270 84 51



आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
जनजातीय संग्रहालय, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462003



S. No./

/ Trust /

Bhopal, Date

/

/20

:: वचन पत्र ::

(क्रमांक-14)

॥ सर्व स्वल्चिदं ब्रह्म ॥ आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान के निर्माण के दौरान निकलने वाले मलवा का उपयोग भवन निर्माण में किया जायेगा। कोई भी मलवा वन क्षेत्र में नहीं छोड़ा जायेगा।



(शिव शेखर शुक्ला)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति विभाग

सह न्यासी सचिव

ACHARYA SHANKAR CULTURAL UNITY TRUST

Department of Culture, Government of Madhya Pradesh
Tribal Museum, Shyamla Hills, Bhopal (M.P.) 462003

☎ 0755 - 492 88 69 / 270 84 51

